न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या:– 52/2024

प्रार्थी::–

खीमाराम पुत्र मोडाराम पुरोहित निवासी लादुनगर,जेठन्तरी तहसील समदडी जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगण::–

1. केसाराम पुत्र रणछोडाराम कलबी चौंधरी
2. किशनाराम पुत्र रणछोडाराम कलबी चौधरी
3. गंगादेवी पत्नी रणछोडाराम कलबी चौधरी
4. जोगाराम पुत्र रणछोडाराम कलबी चौधरी
5. धरमोदेवी पत्नी रणछोडाराम कलबी चौधरी
   निवासी लादूनगर तहसील समदडी जिला बालोतरा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार समदडी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:—1. श्री श्रवण कुमार वकील प्रार्थी
2. श्री गजेसिंह विप्रार्थी संख्या 2 से 4
3. श्री नेहपालसिंह विप्रार्थी संख्या 5

आदेश

दिनांक:– 13-10-2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 909/490 रकबा 3.4145 हैक्टेयर भूमि ग्राम लादुनगर तहसील समदडी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त खसरे की बदिशा उत्तर की ओर विप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की खातेदारी भूमि ख.स. 895/487 रकबा 11.5335 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, जो आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थी सं. 1 से 5 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र .ला[illegible]ता है। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते को भू राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:43:46 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 5 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिसं विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की ओर से वकील उपस्थित ।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 5 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार समदडी से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार समदडी द्वारा पत्रांक राजस्व /2024/372 दिनांक 12.07.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई । माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के द्वारा ए.बी.सिविल. रिट पीटिशन संख्या 21695/2024 धर्मोदेवी बनाम खीमाराम वगैरा में दिनांक 28.01.2025 में दिये गये निर्णय की पालना में तहसीलदार समदडी द्वारा विवादित भूमि का मौका निरीक्षण किया जाकर पत्रांक राजस्व/2025/159 दिनांक 28.02.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई उक्त मौका रिपोर्ट पर पर विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पुनः आपत्ति दर्ज करवांने पर तहसीलदार समदडी द्वारा पत्रांक राजस्व/2025/511 दिनांक 18.06.2025 को पुनः मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी की मौजा लादूनगर तहसील समदडी में अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 909/490 रकबा 3.4145 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 से 5 की खातेदारी भूमि ख.सं. 895/487 की बदिशा उत्तर पर कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम [illegible] मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः रास्ते में प्रस्तावित चौड़ाई 12 फीट भूमि, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थी रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 5 को देने हेतु सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:43:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते पर मौके पर विप्रार्थीगण का पटिटयां खडी कर कच्चे मकानात तथा ढाणी बनी हुई है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौका रिपोर्ट में इस बात का कहीं अंकन नहीं किया है साथ ही प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता जवाब के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' अनुसार बरंग केसरिया व बरंग लाल तथा खसरा संख्या 506, 504, 507, 513, 516, 524 व 525 से होते हुए उससे आगे जेठन्तरी से कनाना मार्ग खसरा संख्या 552 तक विद्यमान है, विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि काश्तकार/खातेदार के खेत से आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता न होने की स्थिति में ही काश्तकार अपने खेत में आने–जाने हेतु नजदीक सुलभ रास्ता पडौसी खातेदार की खेत से रास्ता घोषित करवा सकता हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के खातेदारी में आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार समदडी ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के खसरा संख्या 909/490 में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खेत खसरा संख्या 895/487 में से चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र रास्ता बताया है। जबकि विप्रार्थी ने जवाब के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' अनुसार बरंग केसरिया व बरंग लाल रास्ता व खसरा संख्या 506, 504, 507, 513, 516, 524 व 525 में से होते हुए जेठन्तरी से कनाना खसरा संख्या 552 तक वैकल्पिक रास्ता होना बताया है तहसीलदार समदडी ने विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट ''ब' के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 909/490 भूमि से उक्त रास्ते की भूमि की दूरी 360 [illegible] तथा प्रार्थी के खातेदारी में आवगमन हेत प्रार्थी द्वारा चाहा [illegible] खेत खसरा संख्या 895/487 से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 64 [illegible] है । विप्रार्थी द्वारा जवाब के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट 'ब' के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत है कि विप्रार्थी द्वारा दर्शाए गए बरंग लाल व बरंग केसरिया द्वारा दर्शित रास्ता व खसरा संख्या 506, 504, 507,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:43:46 IST
Reason: SelfAttested

513, 516, 524 व 525 में से होते हुए जेठन्तरी से कनाना खसरा संख्या 552 तक की दूरी अधिकतम है, अर्थात विप्रार्थी की खेत खसरा संख्या 895/487 में चाहा गया रास्ता ही लघुत्तम है। राजस्थान काश्तकारी अधिनिनियम की धारा 251 ए में जोत भूमि में अत्यातिंक आवश्यकता होने पर निकटतम व लघुत्तम रास्ते दिया जाने के प्रावधान है, हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत मे आवगमन हेतु विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 895/487 ही लघुत्तम व निकटतम रास्ता है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम लादूनगर तहसील समदडी की ख.सं. 909/490 रकबा 3.4145 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 से 5 की खातेदारी भूमि ख.सं. 895/487 मे से लम्बाई 122 गट्ठा चौडाई 1.50 गट्ठा कुल रकबा 0.09 बीघा अर्थात (0.1155 हैक्टयर) में तहसीलदार समदडी द्वारा पत्रांक राजस्व /2025/159 दिनांक 28.02.025 द्वारा प्रेषिंत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे परिशिष्ट "ए" में बरंग गुलाबी से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ,रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 5 को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जावे तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवाया जाने के पश्चात तहसीलदार समदडी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करे। आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार समदडी द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2025/159 दिनांक 28.02.2025 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट "ए" 'इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 13.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:43:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

परिशिष्ट "A"

आंशिक नक्शा किस्मतवार

मौजा - लादुनगर

तहसील - सिवाना

(बालोतरा)

पैमाना 5" = 200 मी

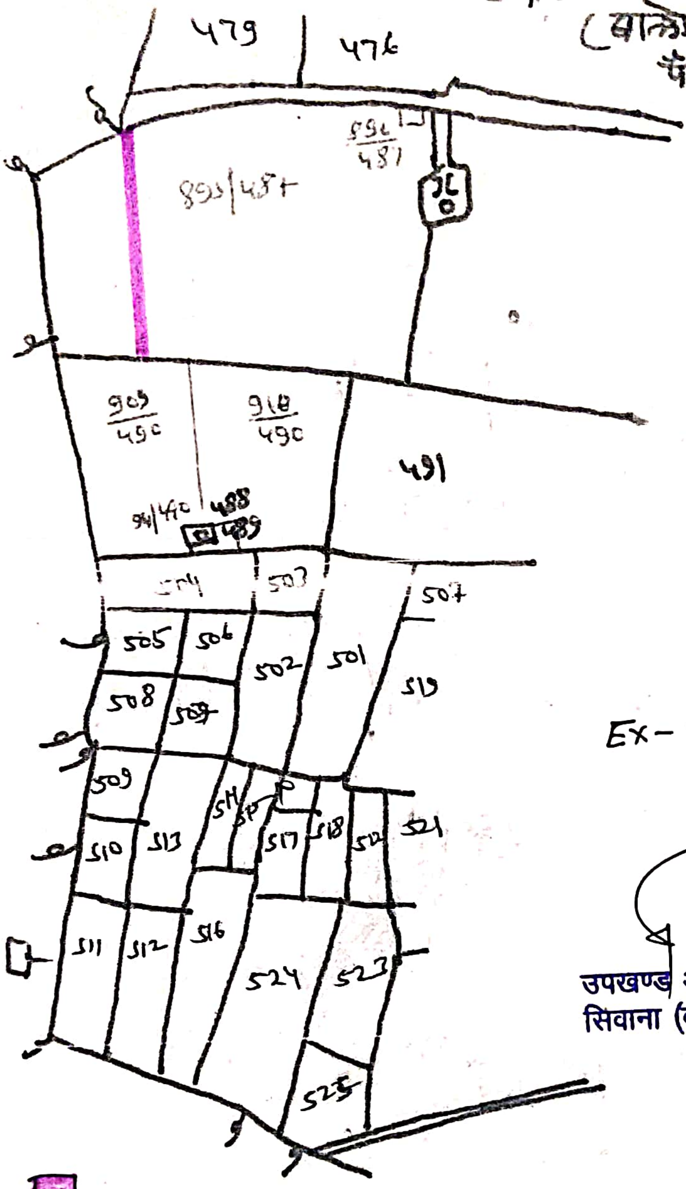

Ex-Court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रस्तावित रास्ता

19/02/2025

19/2/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:43:46 IST
Reason: SelfAttested